भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5236

24.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

वीज़ा प्राप्त करने में समस्याएं

5236. श्री जी.एम. सिद्देश्वराः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारत में विदेशी दूतावासों, कौंसुलेटों, उच्चायोग आदि से भारतीयों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वीजा आवेदन के विवरण को दर्ज करने के लिए कोई नियंत्रण और निगरानी प्रणाली है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय लोगों को वीजा प्राप्त करने में आ रही उक्त समस्याओं को दूर करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्टॉफ की नियुक्ति कर दी है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भारतीयों को विशेषकर संबंधित देशों के लिए वैध वीजा प्राप्त करने में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की क्या भूमिका है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) और (ख) किसी भारतीय नागरिक या किसी विदेशी नागरिक को किसी राष्ट्र विशेष का वीजा प्रदान करना या न करना उस देश का संप्रभु अधिकार है, जिसे सामान्यत: उस देश के दूतावास, उच्चायोग या कौंसुलावास द्वारा प्रयोग किया जाता है। अत: किसी विदेशी दूतावास, उच्चायोग और कौंसुलावास अथवा संबंधित मिशन को हमारे नागरिकों द्वारा दिए गए वीजा आवेदनों से संबंधित सूचना साझा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त कई देशों में ऐसे मामलों के लिए सख्त निजता कानून हैं।

(ग) से (ड.) हस्तक्षेप की संभावना बहुत कम होने के कारणवश इस उद्देश्य के लिए स्टॉफ की नियुक्ति करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई। इस तथ्य के दृष्टिगत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की इन मामलों में एक बहुत ही सीमित भूमिका है, सिवाय कतिपय मामलों के जहां कुछ देशों के साथ द्विपक्षीय वीजा सुविधा करार किया गया हो और करार में किसी भी प्रकार के उल्लंघन को मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया हो। ऐसे मामलों को संबंधित देश के संज्ञान में लाया जाता है और अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। ऐसे करारों की प्रतियां मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की गई हैं।

***